"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 अप्रैल 2017 —— चैत्र 11, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-47/तीन (दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015/2379 रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

1. राजकुमार केशरवानी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया, छ.ग.
2. सत्य प्रकाश वर्मा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अंतर्गत)
पारित दिनांक 31 मार्च 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया के प्रतिवेदन दिनांक 26 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत झगराखांड, जिला कोरिया के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 6 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 26-2-2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया जिसमें नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी राजकुमार केशरवानी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया जाना दर्शाया गया तथा अभ्यर्थी सत्य प्रकाश वर्मा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने के संबंध में कोई टीप नहीं दी गई.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थीगण राजकुमार केशरवानी एवं सत्य प्रकाश वर्मा को दिनांक 6-8-2015 को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निर्हित किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थीगण राजकुमार केशरवानी एवं सत्य प्रकाश वर्मा को दिनांक 3-6-2016 को तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी सत्य प्रकाश वर्मा को सम्यक रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह मानते

हुए कि अभ्यर्थी सत्य प्रकाश वर्मा को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार उनके विरुद्ध दिनांक 13-2-2017 को एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

4. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी राजकुमार केशरवानी ने अपना जवाब मय शपथ-पत्र एवं निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने की पावती आयोग कार्यालय में दिनांक 16-6-2016 को प्रस्तुत किया. जिसमें यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा समस्त दस्तवेजों सहित नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराकर दिनांक 24-1-2015 को निर्धारित समयसीमा के अन्दर प्राधिकृत अधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर दिया था. जिसकी पावती की छायाप्रति भी दी गई थी. इस प्रकार उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की है और न ही व्यय लेखा जमा करने में असफल रहे हैं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग के समक्ष शपथपूर्वक कथन में भी उल्लेख किया गया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 24-1-2015 को समस्त दस्तावेज के साथ कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया के कार्यालय में जमा कर दिया था. चूंकि उनके द्वारा नियमानुसार समयसीमा के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा जमा कर दिया गया है अत: प्रकरण समाप्त करने का निवेदन भी किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया द्वारा पत्र क्रमांक 45/न. पा. आ. नि./व्यय लेखा/2015, दिनांक 21-6-2016 के साथ संशोधित परिशिष्ट-36 में प्रतिवेदित किया गया कि अभ्यर्थी राजकुमार केशरवानी द्वारा दिनांक 24-1-2015 को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है लेकिन टंकण की त्रुटिवश इसे दिनांक 24-2-2015 उल्लेखित किया गया था. अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया द्वारा पत्र क्रमांक 195/न. पा. आ. नि./व्यय लेखा/2014, दिनांक 16-1-2017 में अभिमत दिया गया है कि अभ्यर्थी राजकुमार केशरवानी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 24-1-2015 को निर्धारित समयसीमा के अन्दर प्रस्तुत किया गया है. इससे अभ्यर्थी राजकुमार केशरवानी के जवाब की पुष्टि होती है.

5.1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी राजकुमार केशरवानी ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्धारित समयसीमा के अन्दर दिनांक 24-1-2015 को अधिसूचित अधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल कर दिया था अत: अभ्यर्थी राजकुमार केशरवानी के विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया को संसूचित किया जाये कि वे अपने कार्यालय को भविष्य में सतर्कता एवं सावधानी बरतने हेतु निर्देशित करें.

5.2 अभ्यर्थी सत्य प्रकाश वर्मा ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी सत्य प्रकाश वर्मा प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहा है तथा वह इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखता है. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी सत्य प्रकाश वर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 31 मार्च 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.